न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/86/2019	11–09–2019	03–10–2019

01– मनीराम पुत्र रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर जिला अलवर।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर
दिनांक 28.08.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 07/2019

उपस्थितः–

01–श्री अमरचंद चौधरी

–वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 28.08.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रोनीजाथान की सरकारी बा0सो0 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1642/1.64 है0 में से 01.00 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा, बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम रोनीजाथान की सरकारी बा0सो0 भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1642/1.64 है0 में से 01.00 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 08.07.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास, बेदखली व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास, बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.09.2019 को विवादित आराजी से कब्जा हटाना बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.09.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03–10–2019 को अद्योहस्ताक्षरर्ता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)